

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3155
27/03/2025 को उत्तर देने के लिए

इंस्पायर योजना

3155 श्री लहर सिंह सिरिया:

श्री नारायण कोरागप्पा:

श्री नरहरी अमीन:

श्री रायगा कृष्णैया:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इंस्पायर योजना के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चयनित छात्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): जी हाँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवोन्मेष (इंस्पायर) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए मेधावी युवाओं को आकृष्ट करना, उनका पोषण करना और उन्हें बनाए रखना है, तथा इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान सहित मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान करियर बनाना है। इसका अंतिम उद्देश्य देश के अनुसंधान एवं विकास को विस्तृत करना है। इसे चार घटकों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। इंस्पायर योजना की घटक-वार मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

इंस्पायर इंटरनशिप घटक का उद्देश्य ग्रीष्मकाल या शीतकाल के दौरान विज्ञान शिविरों का आयोजन करके कक्षा 10वीं बोर्ड स्तर पर शीर्ष 1% छात्रों को एक्सपोजर प्रदान करना है, तथा उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित भारत और विदेश के विज्ञान दिग्गजों के साथ वार्ता का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे वैज्ञानिक पेशों की संतुष्टि का अनुभव प्राप्त कर सकें। ये विज्ञान शिविर विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाकर उन्हें नए ढंग से सोचने हेतु मदद करते हैं तथा 16-17 वर्ष की आयु में ही विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए विज्ञान विषय चुनने हेतु आकृष्ट करते हैं।

इंस्पायर के उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (शी) घटक का उद्देश्य छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन में सहायता प्रदान कर के विज्ञान आधारित कार्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना है। यह योजना 17-22 वर्ष आयु वर्ग के केन्द्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 1% प्रतिभाशाली युवाओं के लिए मौलिक और प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र में स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा शुरू करने के लिए 0.80 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए 12,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है।

इंस्पायर अध्येतावृत्ति घटक का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान अर्थात आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर स्तर की परीक्षा में इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा सहित मौलिक और

अनुप्रयुक्त विज्ञान में एमएससी प्रथम रैंक धारकों और इंस्पायर स्कॉलर्स को एमएससी स्तर पर कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त करने पर अध्येतावृत्ति प्रदान करना है, जो हर साल देश में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। ये अध्येतावृत्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए (2 वर्ष जेआरएफ @ रु.37000/माह + एचआरए + 20000/वर्ष का आकस्मिक अनुदान और 3 वर्ष एसआरएफ @ रु.42000/माह + एचआरए + 20000/वर्ष का आकस्मिक अनुदान) या पीएचडी पूरा होने के लिए, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए दिए जाते हैं। प्रति वर्ष अधिकतम 1000 इंस्पायर अध्येतावृत्ति अनुमेय हैं।

इंस्पायर के **इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति** घटक का उद्देश्य 27-32 वर्ष की आयु वर्ग (अजा/अजजा/महिला अभ्यर्थियों और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 37 और 42 वर्ष हैं) के पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष इंजीनियरी, कृषि, पशु चिकित्सा और चिकित्सा सहित मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों क्षेत्रों में 5 साल के लिए अवसर प्रदान करना है। उत्कृष्ट शैक्षणिक और शोध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पीएचडी डिग्री धारक उम्मीदवारों पर प्रतिस्पर्धी आधार पर विचार किया जाता है। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए आकर्षक अध्येतावृत्ति प्रदान करता है, जिसमें 200 रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,25,000 रुपये प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक और 7 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुसंधान अनुदान शामिल है। इस योजना ने युवा शोधकर्ताओं को देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले पोस्ट-पीएचडी शोध को आगे बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित किया है। प्रति वर्ष अधिकतम 150 इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति अनुमेय हैं।

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत 2024-2025 से 21.03.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चयनित छात्रों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंस्पायर - इंटर्नशिप	इंस्पायर -शी	इंस्पायर - अध्येतावृत्ति	इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति
1	आंध्र प्रदेश	530	5	11	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0
3	असम	0	84	24	4
4	बिहार	0	172	6	1
5	चंडीगढ़	0	3	10	0
6	छत्तीसगढ़	150	421	13	0
7	दिल्ली	200	61	53	8
8	गोवा	0	6	10	0
9	गुजरात	350	93	21	0
10	हरियाणा	0	66	7	1
11	हिमाचल प्रदेश	450	138	7	1
12	जम्मू और कश्मीर	150	2	21	3
13	झारखंड	0	23	5	3
14	कर्नाटक	150	60	46	16
15	केरल	150	376	31	3
16	मध्य प्रदेश	0	573	28	2
17	महाराष्ट्र	200	198	34	8
18	मणिपुर	0	138	2	1
19	मेघालय	0	49	1	0
20	मिजोरम	0	13	4	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंस्पायर - इंटर्नशिप	इंस्पायर -शी	इंस्पायर - अध्येतावृत्ति	इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति
21	नागालैंड	0	9	1	0
22	ओडिशा	0	108	23	2
23	पुदुचेरी	0	2	3	0
24	पंजाब	550	61	30	2
25	राजस्थान	0	2879	9	0
26	सिक्किम	0	0	2	0
27	तमिलनाडु	975	44	59	6
28	तेलंगाना	450	31	36	4
29	त्रिपुरा	0	3	1	0
30	उत्तर प्रदेश	1200	5374	40	4
31	उत्तराखंड	400	387	22	0
32	पश्चिम बंगाल	350	362	52	9
